POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 04.07.2024

1.सीआरटी/स्वाट-2 टीम व थाना एक्सप्रेस वे पुलिस के संयुक्त प्रयास से अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 60 किलो अवैध गांजा (कीमत करीब 22 लाख रूपये) बरामद।

कार्यवाही का विवरण--दिनांक **04.07.2024** को सीआरटी/स्वाट-2 टीम व थाना एक्सप्रेस वे पुलिस के संयुक्त प्रयास से अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों 1. पंकज नेगी पुत्र स्व0 सोहन सिंह 2. विशाल सिंह पुत्र स्व0 परमानन्द सिंह 3. गोलू कुमार पुत्र रवीन्द्र सिंह को छपरोली गोल चक्कर से **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध का तरीका-- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इस पूरे गैंग का सरगना गोलू कुमार है। गोलू कुमार पहले भी अपराध मे जेल जा चुका है, जेल से छूटने के पश्चात यह पुनः बिहार जाकर एव अपना दूसरा संगठन बनाकर अपराध में सलिप्त हुआ। गोलू के द्वारा बताया गया कि हम लोग एक साथ ट्रक आदि मे माल न लाकर छोटी छोटी मात्रा मे ट्रेन मे बस के माध्यम से अवैध गाँजा छुपाकर जगह जगह सप्लाई करते है, गोलू ने पूछताछ करने पर बताया कि यह गाँजा तनकू, उडीसा व आन्ध्रप्रदेश बार्डर से लाते है और बताया की पिठ्ठू बैग मे नीचे की तरफ आवैध गांजा के पैकेट भर लेते है और उसके बैग के उपर पहनने के कपडे आदि भर लेते है जिससे की जल्दी से कोई पकड नही पाता है। पूछने पर यह बताया कि यह गांजा उच्च क्वालिटी का है जिसे कई महीनो तक सुखा कर दबा कर कप्पडो के रूप विकसित करने के पश्चात बाजार मे बेचने के लिये लेकर निकलते है, उडीसा और आन्ध्रप्रदेश के इलाको मे तथा पर्वतीय क्षेत्रो मे पाये जाने वाले विशेष पत्तियो को बार बार उलट पलट कर सुखाकर दबाकर एव उसमे एक विशेष रासायनिक परिवर्तन कर तैयार कराया जाता है कि जिससे कि इसकी मादक क्षमता कई गुना बढ जाती है एव इसलिये इसकी माँग अधिक होने के कारण इसकी कीमत भी सामान्य गाँजे से कई गुना अधिक हो जाती है। गोलू ने यह भी बताया कि **बरामद गाँजे की बाजार कीमत लगभग 22 लाख रूपये** है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. पंकज नेगी पुत्र स्व0 सोहन सिंह नि0 ग्राम गरजिया थाना रानीखेत जिला अल्मोडा उत्तराखण्ड हाल पता किराये का मकान झ ब्लाक 79 मेडिकल रोड प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।
2. विशाल सिंह पुत्र स्व0 परमानन्द सिंह नि0 मढौरा थाना मढौरा जनपद छपरा बिहार हाल पता किराये का मकान झ ब्लाक 79 मेडिकल रोड प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।
3. गोलू कुमार पुत्र रवीन्द्र सिंह नि0 मढौरा थाना मढौरा जनपद छपरा बिहार हाल पता किराये का मकान ड ब्लाक 296 मेडिकल रोड प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 6 पिट्ठू बैग में लगभग 60 किलो नाजायज गांजा जिसकी अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपये

आपराधिक इतिहास--

1. पंकज नेगी पुत्र स्व0 सोहन सिंह
   - मु0अ0स0 113/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना एक्सप्रेसवे कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

2. विशाल सिंह पुत्र स्व0 परमानन्द सिंह
   - मु0अ0स0 113/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना एक्सप्रेसवे कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

3. गोलू कुमार पुत्र रवीन्द्र सिंह
   - मु0अ0स0 113/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना एक्सप्रेसवे कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
   - मु0अ0स0 1245/2019 धारा 379/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना दादरी पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार तथा 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिये गये, कब्जे/निशादेही से 10 चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 19.02.2024 को वादी द्वारा थाना दादरी पर अपनी मोटर साईकिल स्पलैन्डर प्रो रंग काला रजि०नं०- यूपी 37 बी 0794 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 0071/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया था तथा दिनांक 04.07.2024 को वादी द्वारा थाना दादरी पर अपनी मोटर साईकिल यूपी 16 वाई 6877 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 0286/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना दादरी द्वारा कार्यवाही करते हुए चैकिंग के दौरान 02 मोटर साईकिल पर सवार 02 शातिर चोर 01. लक्की पुत्र राजेश शुक्ला 02. निखिल सिहं चौहान पुत्र राजवीर सिहं तथा दो बाल अपचारी को कठहैरा मोड के पास से **गिरफ्तार** किया गया तथा बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पूछताछ करने पर चोरो ने बताया कि हम चारो गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से मोटर साइकिल चोरी करते है। इन मोटर साइकिलो के अलावा हमने 08 मो0सा0 चोरी करके कठहैरा रोड पर बर्फ फैक्ट्री से आगे खाली पडे प्लाट की चार दिवारी के अन्दर झाडियों में छिपा कर खडी कर रखी है। हम चल कर बरामद करा सकते है। थाना दादरी पुलिस द्वारा चोरो द्वारा बताये गये स्थान से चोरी की हुई 08 मोटर साईकिल चोरी की बरामद की गयी। अभि0गण से बरामद मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 यूपी 37 बी 0794 के सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 0071/2024 धारा 379 भा0द0वि0 तथा मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्पलेन्डर रजि0 नं0 यूपी 16 वाई 6877 के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 0286/24 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत है। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. लक्की पुत्र राजेश शुक्ला निवासी 24 फुटा रोड तुलसी विहार कलोनी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष।
2. निखिल सिंह चौहान पुत्र राजवीर सिहं निवासी रामवाटिका कालोनी थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष।
3. दो बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 0071/2024 धारा 379 भा0द0वि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0286/24 धारा 379 भा0द0वि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. हीरो होण्डा स्पलेन्डर रंग काला रजि0 नं0 UP16Y-6877,
2. हीरो स्पेलन्डर मोटर रजि0 नं0 UP37B0794,
3. हीरो स्पलेन्डर रंग सिल्वर रजि0न0- UP11BA7053,
4. बजाज V-12 रजि0न0- UP16BM8970,
5. हीरो एच एफ डीलेक्स रजि0 न0 UP16DY9080,
6. हीरो होडां स्पलेंडर रजि0न0-DL95J6145,
7. हीरो होंडा स्पलेंडर प्लस रजि0 नं0-DL4SBG0654,
8. हीरो होंडा स्पलेंडर रजि0 नं0-UP16AQ7947,
9. हीरो पैशन प्रो रजि0 नं0- UP13AP5078,
10. सी डी डीलक्स ईंजन न0-HA11EB99F00599